न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 981/एक/१४ विरूध्द आदेश दिनांक ७/७/२००४ पारित व्दारा बंदोबस्त आयुक्त म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक २२/निगरानी/९२-९३

१ प्रभुनारायण भाट

२ रामप्रकाश भाट

पुत्रगण सीताराम भाट दोनों निवासीगण

ग्राम तेलाई, तहसील सिंगरौली, जिला सीधी म0 प्र0

३. बुधलाल भाट पुत्र झिंगई

४ गोविन्द प्रसाद

५ चन्द्रिका प्रसाद

क्रमांक 4 एवं 5 पुत्रगण दुर्जन निवासीगण

ग्राम डिग्धी,तहसील सिंगरौली, जिला सीधी म0 प्र0

- आवेदकगण

- विरूध्द -

१ तेजवली शर्मा (मृतक) वारिसान -

1 श्रीमती राधादेवी पत्नी तेजवली

2 राघवेन्द्र

3 अशोक

4 अखिलेश

5 कृष्ण कुमार

6 पुष्पराज

2 से 6 पुत्रगण तेजवली समस्त निवासीगण

ग्राम वरहवा टोला पो0 डगा वरगवा तहसील देवसर
जिला सिंगरौली म0 प्र0

2 दुर्गाप्रसाद शर्मा

3. राजेश्वरी प्रसाद शर्मा

4 रामलल्लू शर्मा

चारों पुत्रगण पुत्रगणश्री अखण्डप्रताप
निवासीगण ग्राम वरहवा टोला
तहसील देवसर, जिला सीधी म0 प्र0

- अनावेदकगण

श्री एस0 के0 अवस्थीअभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1एवं 2
श्री जे0 एम0 सक्सैना, अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 3 एवं 4

आ दे श

(आज दिनांक 9.3.2018 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 981/एक/04 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत बंदोबस्त आयुक्त,मध्य प्रदेश के प्र क्र 22/निगरानी/92-93 में पारित आदेश दि 7-7-2004 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२) मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा इस तथा अधीनस्थ न्यायालयों की नस्तियों के अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया.

इनके आधार पर प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार बनता है.

ग्राम दिग्घी, तहसील सिंगरौली में कुल किता २७, १६.६५ एकड़ भूमि मूल पुरुष जागेश्वर की थी, जिसका विस्तार अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में विद्यमान है.

जागेश्वर के ४ पुत्र थे - गोपाल, झिन्गई, तनगू और दुर्जन, जिनका उक्त भूमि पर बराबर का हिस्सा था.

गोपाल के पुत्र प्रभुनारायण और रामप्रसाद निगाराकर १ एवं २ हैं. झिन्गई का पुत्र बुधलाल निगारकार ३ है. दुर्जन के पुत्र गोविन्द एवं चन्द्रिका निगारकार ४ एवं ५ हैं.

तनगू की पत्नी का नाम नागु था, तथा तनगू के कोई पुत्र नहीं था, उसकी ३ या ४ पुत्रियाँ थीं, जिनमें एक का नाम उरांव था. गैर-निगराकारगण तनगू के वारसान हैं.

तनगू की मृत्यु १९४६ में हुई. इसके १७ वर्ष उपरान्त तहसीलदार सिंगरौली के प्र क्र १५०/अ६/७२-७३ में पारित आदेश दि ३१-१२-१९७३, जिसकी प्रति बंदोबस्त आयुक्त की नास्ति के पृष्ठ ९-१० पर अवस्थित है, तनगू के बेवा नागु एवं उसकी पुत्री उरांव के पक्ष में वारासाना नामांतरण हुआ, किन्तु उसका अमल राजस्व अभिलेखों में किन्ही कारणवश नहीं हुआ.

नागु की मृत्यु १९७६ में हुई. इसके बाद, निगराकारगण ने तनगू द्वारा दि १५-७-१९४५ को निष्पादित एक वसीयत के आधार पर राजस्व निरीक्षक के प्र क्र १५४/अ६/७७-७८ में पारित आदेश दि १६-७-१९७८ से उनके पक्ष में एक नामांतरण आदेश पारित कराया, जिसका अमल राजस्व अभिलेखों में हो गया. इस वसीयत में तनगू द्वारा उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका हिस्सा उसके तीनों भाइयों को दिए जाने का लेख किया गया है, उसकी (तनगू की) पत्नी या पुत्रियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है. ना ही यह लिखा है की वसीयत का क्रियान्वयन उसकी पत्नी नागु की मृत्यु के बाद किया जाए. (वसीयतनामे की एक प्रति सहायक बंदोबस्त अधिकारी की नस्ती

के पृष्ठ ४९ पर अवस्थित है). दि १६-७-७८ का राजस्व निरीक्षक का यह आदेश, जिसकी प्रति बंदोबस्त आयुक्त की नास्ति के पृष्ठ ११-१२ पर अवस्थित है, एक अति-संक्षिप्त और मूक प्रकृति का आदेश है, जिसमें वसीयत का कोई ज़िक्र नहीं है, ना उसके प्रमाणीकरण या तनगू के वारिसों को सूचना तामीली संबंधी कोई लेख है, केवल इश्तेहार जारी किये जाने और उसपर कोई आपत्ति नहीं मिलने का लेख है.

वर्ष १९८४-८५ में बंदोबस्त की कार्यवाही प्रारम्भ हुई, किन्तु वह पूर्ण नहीं हुई. उस समय गैरनिगराकरगण ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ती नहीं उठाई. वर्ष १९९३ में हुए बंदोबस्त के दौरान गैरनिगराकरगण ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष निगराकरगण के नाम उनके नामों की जगह अभिलेखों में होने पर आपत्ती ली, जिसका निगराकरगण ने विरोध किया. सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने उनके प्र क्र १८४/अ६/९१-९२ में पारित आदेश दि ८-२-९३ से गैरनिगराकारगण की आपत्ती यह लिखते हुए निरस्त कर दी कि (१) उन्होने वर्ष १९७३ के आदेश का अमल ८३-८४ के बंदोबस्त तक नहीं कराया था, (२) निगराकारगण के नामांतरण का वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेख में अमल हुआ है, और गैरनिगराकारगण ने ऐसे नामांतरण में कोई आपत्ती नहीं की, (३) सहायक बंदोबस्त अधिकारी अपीलीय न्यायालय नहीं है, अतः उसके पास सक्षम राजस्व न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है.

गैरनिगराकारगण ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध बंदोबस्त अधिकारी, सीधी के समक्ष अपील की, जहाँ प्र क्र ९१/अपील/९२-९३ दायर हुआ. यहाँ गैरनिगरकारगण ने प्रकरण वर्ष १९७३ के आदेश का अमल कराये जाने के लिए सहायक बंदोबस्त अधिकारी को प्रत्यावर्तित किये जाने का निवेदन किया. निगराकरगण ने यहाँ यह तर्क किया कि वर्ष १९७८ का उनके हित में हुआ आदेश एक सक्षम राजस्व न्यायलय का आदेश है, और उसके प्रकाश में सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने सही निर्णय ही लिया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तनगू उरांव के

अतिरिक्त अन्य पुत्रियाँ भी थीं जिन्होंने या जिनके वारिसों ने कोई विरोध नहीं किया है. इन् आधारों पर अपील खारिज किये जाने की मांग की. बंदोबस्त अधिकारी ने इस प्रकरण में दि १९-८-९३ को पारित आदेश से यह अपील खारिज की, जिसमे वह सहयक बंदोबस्त अधिकारी के आधारों से सहमत हुए, और साथ ही यह भी लिख कि गैरनिगराकरगण वसीयत के बिंदु पर व्यवहार न्यायालय जा सकते हैं, और यह कि विलम्ब के कारण उनके न्यायालय में कार्यवाही संभव नहीं है.

गैरनिगराकारगण ने बंदोबस्त अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध बंदोबस्त आयुक्त के समक्ष अपील की, जहाँ प्र क्र २२/निगरानी/९२-९३ दायर हुआ. बंदोबस्त आयुक्त के यहाँ जब मेमो प्राप्त हुआ तो उसपर 'अपीलांट' द्वारा प्रस्तुत मार्क हुआ, प्रकरण् बतौर निगरानी दायर हुआ, और बंदोबस्त अधिकारी के आदेश दि ७-७-०४ के अंतिम पैरा में पुनः अपील शब्द का उपयोग हुआ - इसको लेकर इस बंदोबस्त आयुक्त न्यायालय के इस प्रकरण के निगरानी या अपील होने को लेकर बाद में विवाद हुआ.

बंदोबस्त आयुक्त के समक्ष गैरनिगराकारगण ने यह तर्क किया कि वर्ष १९७३ के तहसीलदार के आदेश के विद्यमान होने की वजह से राजस्व निरीक्षक का १९७८ का फ्रेश आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर था, केवल राजस्व अभिलेख में अमल नहीं हो पाने के कारण १९७३ का आदेश प्रभावहीन नहीं हो गया था. वैसे भी तनगू की वसीयत के प्रमाणीकरण और उसके आधार पर नामांतरण के पूर्व तनगू के विधिक वारिसों को नोटिस भेजकर तामिल कराया जाना चाहिए था, केवल इश्तेहार प्रकाशित किया जाना काफी नहीं था. [उन्होंने वहां २००१रानि२६४ - अमल ना होने पर अन्य व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल जाता; १९८६रानि२०८ - अमल का उत्तरदायित्व शासन का भी; तथा २००२रानि४९, १९९८रानि१६८, १९६५रानि६५ पेश किये थे].

बंदोबस्त आयुक्त के समक्ष निगरकारगण के यह तर्क थे की वर्ष १९७३ के आदेश का पालन आदेश पारित होने के १२ वर्ष में अपेक्षित था, तनगू का

वसीयतनामा उसकी पत्नी नागु की मृत्यु के बाद प्रभावशील हुआ, तथा १९७३ के आदेश के पारित किये जाने के पूर्व तनगू के समस्त वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया था जिस कारण उसमें असंयोजन का दोष था.

बंदोबस्त आयुक्त ने आक्षेपित आदेश दि ७-७-०४ से गैरनिगराकारगण के पक्ष में आदेश दिया. उन्होंने १५-७-७८ तथा ८-२-९३ के आदेश निरस्त करते हुए दि ३१-१२-७३ के अमल का निर्देश दिया. बंदोबस्त आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध राजस्व मंडल में यह निगरानी दायर हुई.

३) मेरे समक्ष उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निम्न तर्क प्रस्तुत किये गए थे.

निगराकारपक्ष की ओर से तर्क थे कि (एक) जब दि १५-७-७८ के एक राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील नहीं की जा सकती थी; यदि गैरनिगराकार उससे असंतुष्ट थे तो उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील करनी चाहिए थी, (दो) बंदोबस्त अधिकारी का आदेश दि १९-८-९३ एक अंतिम आदेश था, अतः उसके विरुद्ध केवल अपील की जा सकती थी, निगरानी पोषणीय नहीं थी; गैरनिगराकारगण ने निगरानी को अपील में परिवर्तित करने का कोई आंवेदन भी नहीं दिया था, [इस सम्बन्ध में उन्होंने ८८रानि२६५, ९१रानि१७, ५रानि३६५, ९४रानि४३३ पेश किये], (तीन) बंदोबस्त आयुक्त के आदेश में असंयोजन का दोष था क्योंकि १९७३ के आदेश में तनगू के सभी विधिक वारिसों को सम्मिलित नहीं किया गया था, (चार) १९७३ के आदेश का क्रियान्वयन १२ वर्ष के अवसान उपरान्त कराने में परिसीमा की बाधा थी, तथा (पांच) बंदोबस्त आयुक्त ने अपने आदेश में निगराकारपक्ष के तर्कों का लेख तो किया था किन्तु उनका निराकरण नहीं किया, और ना ही यह लिखा कि वे सुसंगत नहीं हैं.

गैरनिगराकारपक्ष के तर्क थे कि (एक) बंदोबस्त आयुक्त ने अपने आदेश के अंतिम पैरा में प्रकरण के अपीलीय प्रकरण होने का लेख किया है, (दो) वर्ष १९७८ में तनगू की कथित वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने के पूर्व तनगू के विधिक वारिसों को विधिवत सूचना और पक्ष समर्थन का अवसर दिया जाना चाहिए थे; केवल इश्तेहार जारी करके, बगैर वसीयत का विधिवत (भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धरा ६७, ६८ और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धरा ६४ के अनुसार) प्रंमाणीकरण कराये नामांतरण कर दिया गया, जो की अनुचित और अवैधानिक था. इसके अतितिक्त उन्होंने बंदोबस्त आयुक्त के समक्ष उनकी लिखित बहस को उनकी बहस माने जाने का अनुरोध किया.

प्रत्युत्तर में निगराकारपक्ष के अधिवक्ता ने तर्क किया कि बंदोबस्त आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण बतौर निगरानी ही दर्ज हुआ था. इसके अतिरिक्त उन्होंने पूर्व के तर्कों को ही दोहराया.

४) उपरोक्तानुसार लिखे जा चुके प्रकरण के बिन्दुओं/ तथ्यों, तर्कों और अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मैं इस प्रकरण में निम्न बिंदु प्रमुखता से टीप/ विचार योग्य पाता हूँ:

- (एक) तहसीलदार सिंगरौली द्वारा ३१-१२-७३ के आदेश से जो वारसाना नामांतरण किया गया था, उसमें यदि तनगू के समस्त वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया था तो उसमें असंयोजन का दोष था. यह बिंदु उठा है कि उरांव के अतिरिक्त तनगू की २ या ३ अन्य पुत्रियाँ भी थीं. यह आदेश पारित किया जाने के पूर्व उन्हें सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर मिलना चाहिए था. यह हुआ या नहीं, इस सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टता का अभाव है.
- (दो) ३१-१२-७३ के तहसीलदार के आदेश के राजस्व अभिलेखों में अमल की ज़िम्मेदारी सम्बंधित शासकीय अधिकारियों की भी थी. अतः,

अभिलेखों में यह अमल न होने का पूर्ण उत्तरदायित्व गैरनिगराकारपक्ष पर नहीं मढ़ा जा सकता.

- (तीन) राजस्व निरीक्षक का वर्ष १९७८ का आदेश तहसीलदार के वर्ष १९७३ के आदेश के विद्यमान रहते हुए पारित किया गया था. दि १६-७-७८ को पारित यह आदेश एक अति-संक्षिप्त और मूक प्रकृति का आदेश है, जिसमें वसीयत (जिसके आधार पर इस आदेश से नामांतरण किया गया) का कोई ज़िक्र नहीं है, ना उसके प्रमाणीकरण या तनगू के वारिसों को सूचना तामीली संबंधी कोई लेख है, केवल इश्तेहार जारी किये जाने और उसपर कोई आपत्ति नहीं मिलने का लेख है. चूंकि किसी हित या अधिकार के समाप्त होने पर नामांतरण आदेश अंतिम हो जाने या उससे सम्बंधित अपील या निगरानी पूर्ण हो जाने के बाद, उसी नामांतरण को पुनः नहीं देखा जाना चाहिए, अतः अपना आदेश पारित करने के पूर्व राजस्व निरीक्षक को यह देखना चाहिए था कि क्या पूर्व का कोई नामांतरण आदेश है या नहीं, विशेषकर तब जब तनगू की मृत्यु को अनेक वर्ष हो चुके थे. साथ ही वसीयत के प्रमाणीकरण के पूर्व उन्हें तनगू के वारिसों को विधिवत सूचना देकर पक्ष समर्थन का अवसर्ट देना चाहिए था, और वसीयत के गवाहों आदि के साक्ष्य लेकर वसीयत के प्रमाणीकरण की कार्यवाही करनी चाहिए थी. इस आदेश के परिशीलन से ऐसी किसी बात का पता नहीं चलता.
- (चार) सहायक बंदोबस्त अधिकारी द्वारा यह माना जाना कि सक्षम राजस्व न्यायालय के नामांतरण आदेश के विरुद्ध उन्हें अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है, सही था. किन्तु, सहायक बंदोबस्त अधिकारी को यह भी देखना चाहिए था कि बंदोबस्त के दौरान तैयार हो रहे राजस्व अभिलेखों में सही-सही अमल दरामद हो और नज़र आये. इसके लिए उन्हें, गैरनिगराकारगण की ओर से आपत्ती प्राप्त होने पर, यह देखना

चाहिए था कि उनके समक्ष के अभिलेख में सही अमल विद्यमान है भी या नहीं. इसके लिए उन्हें उपरोक्त बिंदु (दो) की इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि तहसीलदार के के (३१-१२-७३ के) आदेश का अमल अभिलेख में नहीं हुआ है, जो कराने की ज़िम्मेदारी शासकीय अमले की भी थी. साथ ही उन्हें उपरोक्त बिंदु (तीन) के इस पहलु पर ध्यान देना चाहिए था कि १६-७-७८ के आदेश के पूर्व उसी वाद भूमि के सम्बन्ध में उसी व्यक्ति तनगू की मृत्यु के फलस्वरूप एक बार पहले ही दि ३१-१२-७३ को नामांतरण हो चूका है. सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने यह सब न करते हुए अपना निर्णय लिया, जो इस कारन से त्रुटिपूर्ण है. साथ ही उसे स्थिर रखने वाला बंदोबस्त अधिकारी का आदेश दि १९-८-९३ भी इन्हीं कारणों से त्रुटिपूर्ण है.

- (पांच) निगराकारपक्ष की ओर से यह कहा जाना कि कथित वसीयत तनगू की बेवा पत्नी नागु की मृत्यु के उपरान्त प्रभावशील हुई, मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वसीयत की अवलोकनीय प्रति में ऐसा कहीं नहीं लिखा है की तनगू की वसीयत उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद प्रभावशील होनी थी.
- (छः) तनगू की १९४६ में मृत्यु हुई.

इसके ३२ वर्ष बाद १९७८ में निगराकारगण द्वारा तनगू की १९४५ की वसीयत को प्रकाश में लाते हुए अपने पक्ष में नामांतरण कराया गया. वर्ष १९७८ में तनगू की पत्नी नागु की मृत्यु तो हो ही चुकि थी. उक्त वसीयत के गवाह और लेखकार भी जीवित थे या नहीं, और उनके साक्ष्य से वसीयत की पुष्टि हुई या नहीं, इस सब के बारे में प्रकरण के अवलोकन से स्पष्टता नहीं मिलती है.

दूसरी ओर गैरनिगराकारपक्ष ने भी तनगू की मृत्यु के २७ वर्ष बाद १९७३ में अपने हित में नामांतरण कराया. वह भी (संभवतः) तनगू के

सभी विधिक वारिसों को पक्षकार बनाये और उन्हें पक्ष समर्थन का अवसर दिए बगैर.

अतः, दोनों ही नामांतरण आदेश पूर्णतः सही माने जाने योग्य नहीं लग रहे हैं.

बंदोबस्त आयुक्त ने अपने आक्षेपित आदेश में इस बात को समुचित सफाई से नहीं पहचाना है, किन्तु यह उनका (बंदोबस्त आयुक्त का) मैंडेट (mandate) भी नहीं था. बतौर बंदोबस्त आयुक्त उन्हें यह देखना था कि क्या बंदोबस्त के दौरान सृजित हो रहे अभिलेखों में सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश के आधार पर सही प्रकार से प्रविष्टियाँ आ रही हैं या नहीं. उन्होंने अपने निर्णय में, पूर्ववर्ती बिंदु (दो) एवं (तीन) के अनुसार, यह ही पहचाना है. अतः, उनके क्षेत्राधिकार के भीतर-भीतर बंदोबस्त आयुक्त का आदेश सही माना जा सकता है, किन्तु ऊपर की जा चुकी विवेचना के प्रकाश में, समग्र न्याय के दृष्टिकोण से, प्रकरण में पुनर्विचार की आवश्यकता शेष बचती है. और इसी कारण (क्योंकि वह ३१-१२-१९७३ के आदेश में त्रुटि की स्पष्ट संभावना के बावजूद उसके आधार पर अभिलेख बनाए जाने का निर्णय पारित करता है), बंदोबस्त आयुक्त का आक्षेपित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं रहता.

- (सात) यह सही है कि बंदोबस्त आयुक्त ने अपने आदेश में निगराकारपक्ष के बिन्दुओं/ तर्कों का पृष्ठ २ के अंतिम पैरा में लेख किया है और उनका स्पष्ट रूप से पूरा निराकरण नहीं किया है.
- (आठ) बंदोबस्त आयुक्त के प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उनके न्यायालय में इस बात की स्पष्टता नहीं रही कि प्रकरण निगरानी है या अपील. उनके न्यायालय द्वारा अलग अलग मौकों/ स्थानों पर, प्रकरण को कहीं निगरानी तो कहीं अपील माना गया है, जो

उपयुक्त नहीं है, और अपर्याप्त प्रशासनिक या विधिक पकड़ का द्योतक है.

५) उपरोक्त विस्तृत विवेचना के उपरान्त और उसके आधार पर, पूर्ण विचार करने के बाद, मैं प्रकरण में इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि इस प्रकरण में ना तो बंदोबस्त आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि ७-७-०४ स्थिर रखे जाने योग्य है, ना ही बंदोबस्त अधिकारी और सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश दि क्रमशः १९-८-१९९३ और ८-२-१९९३ स्थिर रखे जाने योग्य हैं, और ना ही तहसीलदार का आदेश दि ३१-१२-१९७३ और राजस्व निरीक्षक का आदेश दि १६-७-१९७८ स्थिर रखे जाने योग्य हैं. अतः, मैं इन सभी आदेशों को, पूर्ववर्ती पैरा ४ के विभिन्न बिन्दुओं में खुलासे से लिखे जा चुके कारणों के प्रकाश में, एतदद्वारा निरस्त करता हूँ.

साथ ही मैं यह प्रकरण तहसीलदार, सिंगरौली को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्र क्र १५०/अ६/७२-७३ पुनः खोलें, और उसमें नए सिरे से बोलते स्वरुप का स्पष्ट और समग्र दृष्टिकोणों से परिपूर्ण आदेश पारित करें. तहसीलदार यह आदेश पारित करने के पूर्व, राजस्व मंडल के इस प्रकरण में उभयपक्ष के समस्त पक्षकारों तथा अन्य समस्त हितबद्ध पक्षकारों, मृतक तनगू के समस्त वारिसों आदि को पक्षसमर्थन, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि का समुचित अवसर दें, विधि के समस्त प्रावधानों और समस्त विधिक आवश्यकताओं का पूर्ण पालन करें, और इस आदेश में ऊपर लिखे जा चुके समस्त बिदुओं को पूरी तरह ध्यान में रखें. तहसीलदार, इस प्रकार कार्यवाही करते हुए, अपना नवीन आदेश, उन्हें राजस्व मंडल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम छः माह के भीतर, अनिवार्यतः पारित करें. तहसीलदार के द्वारा यह नवीन आदेश पारित किया जाने तक तनगू के हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में खसरा प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, और ना ही उसके हिस्से की भूमि को लेकर कोई क्रय या किसी अन्य प्रकार का संव्यवहार या अंतरण किया जाए.

समस्त पक्षकारगण को भी एतदद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि वे, उन्हें राजस्व मंडल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम १५ दिवस के भीतर या तहसीलदार से सूचनापत्र प्राप्त होने पर नियत दिनांक को, जो भी पहले हो, तंहसीलदार सिंगरौली के समक्ष अपने अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हों और प्रकरण के निराकरण में निरंतर यथासंभव सहयोग करें, ताकि तहसीलदार अपने न्यायालय के इस प्रकरण का निर्दिष्ट छः माह की समयसीमा में निराकरण सही प्रकार से कर पायें.

आदेश पारित.

पक्षकारगण एवं तहसीलदार, सिंगरौली सूचित हों.

अभिलेख तहसीलदार, सिंगरौली को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए.

प्रकरण समाप्त.

दाखिल दर्ज हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर